भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2692

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

देश में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

2692 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो सिक्किम राज्य में संचालनरत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार और आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड आदि जैसी विद्युत वित्त कंपनियों के माध्यम से कौन-कौन से ऋण और राज सहायता प्रदान किये गए हैं

और सिक्किम राज्य में इन संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सिक्किम में विभिन्न गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 2030 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, देश में सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है । वर्तमान में, पवन विद्युत संयत्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है ।

(ख) दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के स्थिति के अनुसार, सिक्किम राज्य में 7.56 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं । सिक्किम राज्य में वाणिज्यिक स्तर की कोई पवन ऊर्जा संयत्र की स्थापना नहीं की गई है ।

(ग) सरकार ने पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सिक्किम राज्य को अब तक 7 लाख रु. जारी किए हैं ।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने सिक्किम राज्य में जल विद्युत तथा स्मार्ट मीटर परियोजनाओं के लिए 2410.49रु. लोन का संवितरण किया है ।

(घ) सरकार द्वारा सिक्किम राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का दोहन करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

'देश में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2692 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

<u>योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन</u>

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>क) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना:- एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर तथा 300 यूनिट/तक प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए योजना</td><td>1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<table><tr><td></td><td>(3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td></td><td></td></tr></table> 2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है। 3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।

योजना/कार्यक्रम	**योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन**
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	
ग) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांच-I तथा ट्रांच-II) में गीगा वाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा; (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।
घ) 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्क के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।	(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। (ख) सौर पार्कों की साझा अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
ङ) विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, स्टैण्ड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल	**घटक-क:** 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है।	**घटक-ख**: 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। **घटक-ग**: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण। **उपलब्ध लाभ**: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन		
च) जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)।		घटक	केंद्रीय भाग (100%)
		1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार
		सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)	प्रति एमपीसी 1 लाख रु.
		ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)	20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट

'देश में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2692 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।

- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।

- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।स

- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।

- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

****